लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
016/2023 (GCMS 2023/62)	21.02.2023	01.03.2023

अनवान

गोपाल लाल मालीवाल निवासी मकान नंबर 109, सेक्टर नंबर 1, गांधीनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9414097754)

अपीलांट

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 16.01.2023 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./016/2023(सू.अ.)(01.03.2023)/177 दिनांक 21.02.2023 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को दिनांक 01.03.2023 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 01.03.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने नियत दिनांक 01.03.2023 को उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र अपना पक्ष रखा कि प्रार्थी के आवेदन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 16.01.2023 से संबंधित सूचना का पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/लोसूअ/परिवाद/विविध/2023/26 दिनांक 06.02.2023 द्वारा पत्र पर अंकित दिनांक 06.02.2023 से 09 दिवस पश्चात् 15.02.2023 को पोस्ट ऑफिस प्रेषित किया गया जो कि मुझ प्रार्थी को दिनांक 19.02.2023 को मेरे आवेदन दिनांक 16.01.2023 से तेंतीस दिवस पश्चात् प्राप्त हुआ हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझ प्रार्थी के आवेदन से वांछित सूचना निर्धारित समायावधि में उपलब्ध नहीं करवाने के कारण अब मुझे वांछित सूचना निःशुल्क दिलवाई जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/23 दिनांक 01.03.2023 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी गोपाल लाल मालीवाल निवासी मकान नंबर 109, सेक्टर नंबर 01, गांधीनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2023 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/लोसूअ/परिवाद/विविध/2023/26 दिनांक 06.02.2023 से प्रार्थी को डाक द्वारा भिजवाई जा चुकी हैं।
3. यह कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के संबंध में वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती हैं।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/लोसूअ/विविध/2023/58 दिनांक 27.02.2023 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

यह कि आवेदक श्री गोपाललाल मालीवाल निवासी मकान नंबर 109, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/लोसूअ/परिवाद/विविध/2023/26 दिनांक 06 फरवरी 2023 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक संख्या **RR216869484IN** से आवेदक को सूचित किया जा चुका हैं।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/23 दिनांक 01.03.2023 से एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/लोसूअ/विविध/2023/58 दिनांक 27.02.2023 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन मनन किया। जिसके अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी की सूचना से संबंधित पत्र निर्धारित समयावधि में अर्थात् आवेदन दिनांक 16.01.2023 से 30 दिवस के भीतर दिनांक 06.02.2023 (प्रेषित दिनांक 15.02.2023) को प्रेषित कर सूचित किया जा चुका हैं। जिसके अनुसार प्रार्थी को वांछित सूचना कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करा कर प्राप्त करने हेतु लिखा गया हैं। साथ ही अपीलार्थी ने स्वयं अवगत कराया है कि उक्त पत्र उसे प्राप्त हो चुका हैं। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका हैं। अतः अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा करा वांछित सूचना प्राप्त करने के सुझाव के साथ अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़, सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>01.03.2023</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official